

IS 15700:2018



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति
प्रबन्ध कार्यालय,
ऑफिस काम्पलैक्स, सैक्टर-९ शास्त्रीनगर मेरठ

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०-

/सं०प्र०-मेरठ/

दिनांक-

आवश्यक सूचना

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के सैक्टर-3 एवं 5 में 31/63, 69/142 एवं 131/144 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों के दिनांक 15.08.2024 से दिनांक 15.10.2024 तक ऑनलाईन खोले गये सामान्य पंजीकरण खोला गया था। जिसमें सैक्टर-3 में 31/63 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों की ऑनलाईन पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-10 पर आरक्षण के क्रमांक 7 पर दिव्यांग व्यक्ति हेतु 05 प्रतिशत एवं सैक्टर-3 में 69/142 प्रकार एवं सैक्टर-3 में 131/144 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों की ऑनलाईन पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-11 पर आरक्षण के क्रमांक 7 पर दिव्यांग व्यक्ति हेतु 02 प्रतिशत अंकित है, जोकि टंकण त्रुटि के कारण अलग अंकित हो गया है। चूंकि प्राप्त नवीनतम शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजन को 05 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः उक्त सैक्टर-3 में 69/142 प्रकार एवं 131/144 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों की ऑनलाईन पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-11 पर आरक्षण के क्रमांक 7 पर दिव्यांग व्यक्ति हेतु 02 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत पढ़ा जायेगा। शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

आवास आयुक्त

सुनील कुमार शर्मा
(सम्पत्ति प्रबन्धक)